सहूलियत | अब कम से कम 1.2 हेक्टेयर का प्लाट होना जरूरी, सरकार विकास पर खर्च करेगी 1.5 करोड़

औद्योगिक गलियारे में उद्यमियों को एकमुश्त भूमि

■ अजित खरे

लखनऊ। यूपी में एक्सप्रेसवे के आसपास बनने जा रहे 33 इंटीग्रेटेड मैन्यूफैक्चरिंग व लॉजिस्टिक क्लस्टर (आईएमएलसी) कारिडोर में निवेशकों को बल्क में जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए यहां विकसित होने वाले सभी भूखंड कम से कम 1.2 हेक्टेयर के होंगे। यूपीडा बोर्ड ने हाल में यह निर्णय लिया है। इसमें तय हुआ है कि यूपी के 30 जिलों में बन रहे औद्योगिक गलियारे के ले-आउट में सभी भूखण्डों को 1.2 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में बेचा जाएगा। इस आधार पर सार्वजनिक ग्रीन एरिया व कामन यूटिलिटी एरिया का आकलन कर विक्रय योग्य भूमि 70 प्रतिशत रखते जमीन का मूल्य तय होगा। कुल जमीन में विक्रय योग्य जमीन पहले केवल 60 प्रतिशत रखी गई थी। यूपीडा का कहना है कि कॉरिडोर में सभी भूखण्डों को 1.2 हेक्टेयर से अधिक बड़े प्लाट नियोजित करने में आन्तरिक विकास कम कराना पड़ेगा।

■ निवेशकों को जमीन देने के लिए सरकार का फैसला

आगरा व अलीगढ़ नोड फेज 2 के लिए दरें तय

यूपीडा ने डिफेंस कारिडोर के आगरा व अलीगढ़ नोड के फेज 2 के लिए जमीन की दरें तय कर दी हैं। इसके तहत अलीगढ़ में यह दर 4005 रुपये प्रति वर्ग मीटर तथा आगरा में 2728 रुपये प्रति वर्गमीटर रखी गई हैं। इसमें 70 प्रतिशत विक्रय योग्य भूमि के आधार पर समानुपातिक करते हुए उस पर 2 प्रतिशत विकास शुल्क लगाया गया है। असल में अभी तक यूपीडा द्वारा भूमि जमीन खरीदने के लिए जितना खर्च किया जा रहा है, उतनी धनराशि भी निवेशकों को बेचने पर प्राप्त नहीं हो रही है। यूपीडा का कहना है कि उस पर अतिरिक्त व्यय भार आ रहा है।